सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 07, मंगलवार, *शाके* 1945-अगस्त 29, 2023 *Bhadra 07, Tuesday , Saka 1945- August 29, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,तालेड़ा, जिला-बूँदी

प्रपत्र - 7

(धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत)

नियम 16 के उपनियम-(1) देखें

प्रारम्भिक अधिसूचना

बून्दी, अगस्त 14, 2023

संख्या-प.7(624)एस.एच.ए./पीपीपी/2021-22: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि एन.एच.12 से लक्ष्मीपुरा-डोरा-डाबी-राणाजी का गुढ़ा (राज्य राजमार्ग संख्या-115)को पी.पी.पी. मोड के अन्तर्गत विकसित किये जाने हेतु लोक प्रयोजन के लिए जिला-बूँदी, तहसील-तालेड़ाके ग्राम-लक्ष्मीपुरा एवं छांट़काखेड़ामें कुल **2.4844 हेक्टयर** भूमि की आवश्यकता है।

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 में विहित है, प्रक्रिया अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

अतः उपरोक्त परियोजना के लिये जिला-बूँदी, तहसील-तालेड़ा के ग्राम-लक्ष्मीपुरा एवं छांट़काखेड़ा में कुल **2.4844 हेक्टयर** भूमि अधिसूचित की जाती है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का विवरण निम्नलिखित है:-

अनुसूची

क्र. सं.	सर्वेक्षण (खसरा) संख्या	संपूर्ण क्षेत्रफल (हे.)	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	प्रभावित क्षेत्रफल (हे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता
ग्राम- लक्ष्मीपुरा						
1	828/516	1.6187	निजी	बारानी 3	0.2700	1. ओमप्रकाश पुत्र पीरू हिस्सा-1/20 जाति-बंजारा सा. देह खातेदार 2. कृष्णा पत्नि नंदकिशोर हिस्सा-2/5 जाति-माली सा. नांता तहसील लाडपुरा जिला कोटा खातेदार राहिन हिस्सा-2/5 (पूर्ण खाता) बड़ौदा

						राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नान्ता 3. दयाराम पुत्र दुर्गालाल हिस्सा-1/12 जाति-गुर्जर सा. लोधा की झोपडिया लक्ष्मीपुरा खातेदार 4. बदाम पुत्री पीरू हिस्सा-1/20 जाति-लुहार सा. देह खातेदार 5. भोजराज पुत्र राजेश हिस्सा-1/12 जाति-गुर्जर सा. रामगंज बून्दी खातेदार 6. मुकेश पुत्र कालू हिस्सा-1/12 जाति-गुजर सा. अकतासा खातेदार 7. साबू पुत्र हजारी हिस्सा-1/4 जाति-बंजारा सा. लक्ष्मीपुरा खातेदार
2	829/516	1.6592	निजी	बारानी 3	0.4219	1. नन्दकुमारजोशी पुत्र हरिशँकर हिस्सा-पूर्ण जाति-ब्राहमण सा. देह हाल निवासी गुरूनानक कोलोनी बून्दी खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) बून्दी चि.क्षै.ग्रा. बैक शाखा तालेडा मु.वि.क.ख.न.427/665 को छोडकर राहिन बडोदा राज.ग्रा.बैक शाखा तालेडा
3	916/317	0.8094	निजी	बारानी 3	0.0338	1. दिनेश चोधरी पुत्र आनन्दीलाल हिस्सा-1/6 जाति-महाजन सा ईमली फाटक जयपुर खातेदार 2. निशा सक्सेना पत्नि सुनील सक्सैना हिस्सा-2/3 जाति-कायस्थ नि. रिद्दीसिद्दी नगर कोटा खातेदार 3. रूकमणी चोधरी पत्नि दिनेश चोधरी हिस्सा-1/6 जाति-महाजन सा ईमली फाटक जयपुर खातेदार
4	709/512	0.9712	निजी	बारानी 3	0.1518	1. दिनेश चोधरी पुत्र आनन्दीलाल हिस्सा-1/6 जाति-महाजन सा. इमली फाटक (जयपुर) खातेदार 2. निशासक्सैना पत्नि सुनिलसक्सैना हिस्सा-2/3 जाति-कायस्थ सा. इमली फाटक (जयपुर) खातेदार 3. रूकमणी पत्नि दिनेश हिस्सा-1/6 जाति-महाजन सा. इमली फाटक (जयपुर) खातेदार
5	802/512	1.2950	निजी	बारानी 3	0.3037	1. शूभमगुप्ता पुत्र सतीशगुप्ता हिस्सा-पूर्ण जाति-महाजन सा. बल्लभबाडी कोटा तह. लाडपुरा जिला कोटा खातेदार
6	939/512	0.1619	निजी	बारानी 3	0.0338	1. दिनेश चोधरी पुत्र आनन्दीलाल हिस्सा-1/6 जाति-महाजन सा ईमली फाटक जयपुर खातेदार 2. निशा सक्सेना पत्नि सुनील सक्सैना हिस्सा-2/3 जाति-कायस्थ नि. रिद्दीसिद्दी नगर कोटा खातेदार

						3. रूकमणी चोधरी पत्नि दिनेश चोधरी हिस्सा-1/6 जाति-महाजन सा ईमली फाटक जयपुर खातेदार
7	511	2.5414	निजी	चाही 3 जाव 3	0.2194	1. नेहागुप्ता पुत्री सतीशगुप्ता हिस्सा-पूर्ण जाति-महाजन सा.एफ.17 बल्लभबाडी कोटा तह.लाडपुरा कोटा खातेदार
ग्राम- छांट़काखेड़ा						
8	251/11	0.3076	सरकारी	बंजड़	0.3076	राजस्थान सरकार
9	424/12	0.1781	सरकारी	बंजड़	0.1236	राजस्थान सरकार
10	425/13	0.1295	सरकारी	गे.मु.बर्डा	0.1030	राजस्थान सरकार
11	416/304	3.5612	सरकारी	बंजड़	0.2008	राजस्थान सरकार
12	55	1.3355	सरकारी	चाही 3	0.0020	राजस्थान सरकार
13	55/212	0.0162	सरकारी	गे.मु.चाह	0.0010	राजस्थान सरकार
14	302/54	2.9056	सरकारी	बारानी 3	0.3120	राजस्थान सरकार

भूमि योजना का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,तालेड़ा, जिला-बूँदी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार परियोजना निदेशक (पी.पी.पी.) सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारीयों को अपने श्रमिकों सहित यदि कोई हो, को प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने तथा तलमापन करने, अवमृदा के भीतर खोदने या भेदन करने तथा वह समस्त कार्य, जो धारा 12 में वर्णित है,को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति अधिसूचित भूमि के क्रय/विक्रय संबंधी कार्य इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् बिना उपखण्ड अधिकारी,तालेड़ा, जिला-बूँदीकी पूर्वानुमति के नहीं करेगा।

इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवस में यदि किसी हितबद्ध पक्षकार को भूमि अर्जन से संबंधित कोई आपत्ति है तो अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत आपत्तिभूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,तालेड़ा, जिला-बूँदी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।